

भावली - मकाना क्र. 00-118/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

15-5-24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेजी पर हिरायत दी गई है कि
आपकी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आपकी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। परन्तु अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुनकर हेकर नम्बर
से 100 होकर 1000 तक तीनों तकमील जायिस वफ़र हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर